

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-7/2016/नियम/चार  
प्रति,


भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2017

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय- सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया ।  
संदर्भ- वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11-7/2016/नियम/चार, दिनांक 31-3-2017.

—••—

संदर्भित परिपत्र द्वारा सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/रिफण्ड करने संबंधी जारी निर्देशों में 01 सितम्बर 2016 के पश्चात रूपये 10,000/- से अधिक की राशियों को भौतिक चालान से जमा करने की प्रक्रिया को समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 तक की स्थगन अवधि में दिनांक 31-7-2017 तक वृद्धि की जाती है ।


  
(अनिरुद्ध मुर्कजी)  
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प.क्रं. : एफ 11-7/2016/नियम/चार  
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2017

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
5. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

  
(अजय चौबे)  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग